न्यायालय : - नायब तहसीलदार,अकोला
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101769
वाद संख्या:- 1769/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम रवि कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं0 ज्202501010101769/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम रवि कुमार

मौजा-भाडई

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा भाडई के गाटा संख्या 634 रकवा 0.6800हे0 व गाटा संख्या 636 रकवा 0.2800हे0 कुल किता दो कुल रकवा 0.9600हे0 में से 1/6 भाग रकवा 0.1600हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने रवि कुमार से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 634 रकवा 0.6800हे0 व गाटा संख्या 636 रकवा 0.2800हे0 कुल किता दो कुल रकवा 0.9600हे0 में से 1/6 भाग रकवा 0.1600हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नही है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा भाडई के खाता सं0 00136 के गाटा संख्या 634 रकवा 0.6800हे0 व गाटा संख्या 636 रकवा 0.2800हे0 कुल किता दो कुल रकवा 0.9600हे0 में से 1/6 भाग रकवा 0.1600हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता रवि कुमार पुत्र श्री बाबू लाल निवासी ग्राम भाडई पो0 ककुआ तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 3840000/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065828 दिनांक 19.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

नायब तहसीलदार (अकोला)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"